रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-04092025-265965
CG-DL-W-04092025-265965

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 30] नई दिल्ली, अगस्त 24—अगस्त 30, 2025, शनिवार/ भाद्र 2—भाद्र 8, 1947
No. 30] NEW DELHI, AUGUST 24— AUGUST 30, 2025, SATURDAY/ BHADRA 2— BHADRA 8, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 141.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 1988 (दूसरा संशोधन), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, लेखा-सह-भंडार अधिकारी, प्रशासनिक-सह-क्रय और विक्रय अधिकारी तथा कार्यालय अधीक्षक (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2017 को, जहां तक उनका संबंध मुख्य प्रशासनिक-सह-वित्त अधिकारी, प्रशासनिक-सह-क्रय और विक्रय अधिकारी/लेखा-सह-भंडार अधिकारी एवं कार्यालय अधीक्षक के पदों से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय

3. Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Member. Group 'B' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Principal, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Chairperson; 2. Deputy Director (Concerned), Directorate General of Health Services -Member; 3. Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Member.	

[F. No. A.11018/31/2003-RR-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 144.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (तृतीय वर्ग के पद) भर्ती नियम, 1973 को, सिवाए उन बातों के अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, में शिक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, शिक्षक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** –उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसे करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन या अचयन पद।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शिक्षक	02* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (25500-81100) रुपये।	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच । (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गएअनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के मामले में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पैतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण :** कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यथा विज्ञापित तारीख आयु-सीमा अवधारित करने हेतु निर्णायक होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण में डिप्लोमा। **टिप्पण 1:** अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के संदर्भ में सक्षम प्रधिकारी अथवा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, अपने विवेकाधिकार से, अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी। **टिप्पण 2:** अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के संदर्भ में यदि चयन प्रकिर्या के किसी भी स्तर पर सक्षम प्रधिकारी अथवा कर्मचारी चयन आयोग का यह समाधान होता है, कि उन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखते सम्बंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं हैं, तो कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्रधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, अपने विवेकाधिकार से, अनुभव सम्बंधी अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष । **टिप्पण :** परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण करना अनिवार्य होगा।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	**(12)**	**(13)**
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या सर्वजनिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी;-- (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किया हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 में (21700-69100 रुपये) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; अथवा (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 में (19900-63200 रुपये) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक योग्यता और अनुभव जो स्तम्भ (7) के अधीन रखते हों। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल -अध्यक्ष; 2. संबंधित उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; 3. उप निदेशक प्रशासन, सफदरजंग अस्पताल -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए. 11018/40/2024-एमएच-II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

New Delhi, the 21st August, 2025

G.S.R. 144.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjung Hospital, (Class III posts) Recruitment Rules, 1973, in so far as they relate to the post of Teacher, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Teacher in the Ministry of Health and Family Welfare, in the Safdarjung Hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Teacher (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. –** No person, -

who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Teacher.	02* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**
(6)	**(7)**	**(8)**
Between 18 and 27 years of age. (Relaxble for the departmental candidates up to forty years in the case of general candidates and up the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) 12th class pass from a recognised Board; and (ii) Diploma in teacher training from a recognised institution. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities	Not applicable.

	possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	

Period of probation, if any.	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation, absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.**
(9)	**(10)**	**(11)**
Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	By deputation (including short-term contract), failing which by direct recruitment.	Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous, or Statutory organisation or public sector undertakings or Universities or recognised research institutions,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service rendered after appointment thereto on a regular basis in level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with eight years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital -Chairperson; 2. Deputy Director (Concerned) in Directorate General of Health Services -Member; 3. Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A. 11018/40/2024-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.09.04 15:49:13 +05'30'